

फॉर्म 5

[नियम 59 (1) (ग) और 61 (1) देखिए]

[केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 5 (2), 12, 13 (3), 14 (1) और 15 (3) भी देखें]

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विवरण

1. नाम :
2. (क) आयकर के लिए स्थायी संख्यांक (पैन) :  
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :
3. पहचान के कुछ चिन्ह विनिर्दिष्ट करें :  
(i)  
(ii)
4. कद :
5. भविष्य के पत्राचार के लिए सेवानिवृत्ति के बाद का पता/ स्थायी पता :
6. बैंक खाता संख्या जिसमें पेंशन जमा की जानी है :

(संयुक्त खाता, या तो या उत्तरजीवी, पति या पत्नी के साथ)  
(यदि कार्यालय प्रमुख संतुष्ट है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए उसके नियंत्रण से परे कारणों से संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इस आवश्यकता में छूट दी जा सकती है)

7. बैंक की शाखा का नाम जिसके माध्यम से पेंशन ली जानी है :  
(ए) शाखा का बीएसआर कोड :  
(बी) शाखा का आईएसएफसी कोड :  
(ग) शाखा का एमआईसीआर कोड :
8. उपदर्शित करें कि क्या परिवार पेंशन(कुटुंब पेंशन) किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है - सैन्य या राज्य सरकार और/या केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि :
9. मैं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी अधिवर्षिता पेंशन का \_\_\_\_\_% (40 प्रतिशत तक) के संराशीकरण करने के लिए इच्छुक हूँ।

में अवगत हूँ कि पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी (कुटुंब पेंशनभोगी) का भावी आचरण पेंशन/परिवार पेंशन (कुटुंब पेंशन) की प्रत्येक मंजूरी और इसे जारी रखने के लिए एक निहित शर्त होगी।

जांच सूची के अनुसार संलग्नक संलग्न हैं।

हस्ताक्षर :

पदनाम :

पेस :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

मोबाइल नं. :

दिनांक:

ई-मेल आईडी :

**टिप्पणी 1** पेंशन का संराशीकरण वैकल्पिक है। मद 9 हटा दी जाए यदि सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी सेवक पेंशन की प्रतिशतता को संराशित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

**टिप्पणी 2** केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के फॉर्म 1क में अधिवर्षिता पेंशन के संराशीकरण के लिए एक पृथक आवेदन उस स्थिति में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जब सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी सेवक इस फार्म को प्रस्तुत करने के पश्चात किंतु सेवानिवृत्ति से महीनों पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए इच्छा व्यक्त करता है।

**टिप्पणी 3:** यह सरकारी सेवक के हित में है कि वह ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर दे जो भावी पत्र व्यवहार को सुगम बनाएगा।

**फॉर्म 5 के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची देखें।**

क्र.सं.	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	क्या संलग्न किया गया है
1	<p>(क) दो विशिष्ट हस्ताक्षर (पृथक पन्ने में प्रस्तुत किए जाने के लिए)।</p> <p>(ख) अतिरिक्त जानकारी (केवल निरक्षर या दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के मामले में):- दो पंरियां जिनमें से प्रत्येक पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर नहीं है, उसके बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के छापें जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं, दी जाएगी। यदि ऐसा सरकारी सेवक शारीरिक निःशक्तता के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के छाप देने में असमर्थ है तो वह दाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के छाप दे सकता है। जहाँ सरकारी सेवक के दोनों ही हाथ न हो तो वह अपने पांव के अंगुलियों की छाप दे सकता है। छापों की किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।</p>	
2	पत्नी या पति के साथ पासपोर्ट आकार के संयुक्त फोटो की तीन प्रतियां। जहां किसी सरकारी सेवक के लिए अपनी पत्नी या पति के साथ फोटो देना संभव नहीं है तो वह अलग से फोटो दे सकते हैं। फोटो कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे। दिव्यांग बच्चे/भाई-बहन/आश्रित माता-पिता, के पासपोर्ट आकार के फोटो की तीन प्रतियां, जहां लागू हैं। (कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुप्रमाणित)।	
3	फॉर्म 3 में परिवार (कुटुंब) का ब्यौरा।	

4	उन व्यक्तियों के लिए जो सी एस एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 8 में निर्दिष्ट सुरक्षा संबंधी या आसूचना (खुफिया) संगठनों में सेवा कर चुके हैं, फॉर्म 26 में वचनबंध।	
5	नियम 59 (1) (क) के तहत सेवा की अवधि की गणना के लिए लिखित कथन, यदि कोई हो।	
6	पेंशन संवितरक बैंक द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान को वापस करने का वचनबंध।	
7	सामान्य नामनिर्देशन प्रारूप में उपदान, सीजीईजीआइएस और जीपीएफ के लिए नामनिर्देशन	
8	सामान्य नामनिर्देशन प्रारूप में पेंशन के संराशित मूल्य (यदि पेंशन संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है) और पेंशन के बकाया के लिए नाम निर्देशन।	